UPHR010000682026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–4/

विशेष न्यायाधीश(ई०सी०एक्ट), हरदोई

दाण्डिक प्रकीर्ण सं0–06/2026

श्री रामकृपाल बनाम शफीक

अ०सं०–1780/2022

धारा –138(1)(b) विद्युत अधिनियम

थाना– ए०पी०टी०, जिला हरदोई।

दिनाँक–09.05.2026

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुयी। **मु०अ०सं०–1780/2022,** अन्तर्गत धारा **138(1)(b)** विद्युत अधिनियम, थाना ए०पी०टी०, जिला हरदोई बनाम **शफीक** आदेश के विरूद्ध विवेचक द्वारा प्रस्तुत **अंतिम आख्या संख्या 449/2025 दिनांकित 24.10.2025** पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वतर्मान मामले में अभियुक्त के विरूद्ध विवेचना के उपरान्त अन्तिम प्रतिवेदन इस आधार पर प्रस्तुत है कि दौरान विवेचना अभियुक्त द्वारा **शमन शुल्क तथा निर्धारण शुल्क जमा कर** दिया गया है, अतः धारा–152(2) विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धनराशि का संदाय कर दिए जाने उपरान्त व सक्षम प्राधिकारी द्वारा संयोजन किए जाने के उपरान्त आपराधिक वाद नहीं चलाया जा सकता। **अभियोजन पक्ष द्वारा भी अपने बयान में उक्त आशय का कथन किया गया है।** इस प्रकार अंतिम प्रतिवेदन पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है। प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन पर अनापत्ति के मद्देनजर **अन्तिम प्रतिवेदन संख्या 449/2025 दिनांकित 24.10.2025** स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

(i) **अन्तिम प्रतिवेदन संख्या 449/2025 दिनांकित 24.10.2025 स्वीकार** की जाती है।

(ii) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान प्रकीर्ण वाद में पारित उक्त आदेश का प्रभाव प्रार्थी/अभियुक्त के व्यवहार उत्तरदायित्व पर नहीं पड़ेगा। विद्युत विभाग अभियुक्त पर पूर्व अथवा वर्तमान बकाया/देय को विधि अनुसार वसूल करने के लिए स्वतन्त्र/अधिकृत होगा।

(iii) तदनुसार वर्तमान प्रकीर्ण वाद निस्तारित किया जाता है।

(iv) पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचयित हो।

(योगेन्द्र चौहान)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–04/
विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट), हरदोई।
जे०ओ० कोड–UP1608

Digitally signed by YOGENDRA CHAUHAN
Date: 2026.05.09 15:56:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court